



कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर



प्रेस नोट (दिनांक 09.01.2025) आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु एवं यातायात नियमों की पालनार्थ दिनांक 08.01.2025 को वक्त 5:00 पीएम से 10:00 पीएम तक चिन्हित स्थानों पर हथियारबंद नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की सघन चैकिंग द्वारा आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम व 185 एमवी एक्ट में कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत्त सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर हथियारबंद नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की सघन चैकिंग कर आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम व 185 एमवी एक्ट में कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत्त अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमों बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने सघन नाकाबंदी अभियान जोधपुर आयुक्तालय जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में आबकारी अधिनियम के तहत कुल **05** कार्यवाही जिसमें पुलिस थाना करवड़, मंडोर, देव नगर, सूरसागर व बोरानाडा द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत एक-एक कार्यवाही की गई तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले **59** वाहन चालकों का 185 एमवी एक्ट के तहत चालान कार्यवाही की गई।

रात्रि कालीन गश्त के दौरान कुल **269** संदिग्ध वाहन चेक किए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वाले **08** वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत चालान कार्यवाही की गई, राजकोप ऐप पर कुल **76** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ **22** संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया, **10** बंपर लगे वाहन व **04** काला शीशा लगे वाहनों का एम.वी.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी

पुलिस नियन्त्रण कक्ष
आयुक्तालय जोधपुर

